सूरज जगन्नाथ जाधव

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1885)

/

13 दिसंबर, 2019

[अशोक भूषण और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860 -s.300 चौथा और अपवाद 4 से s।300; एसएस।302 & 304 भाग 2-अपीलार्थी-अभियुक्त ने अपनी पत्नी को आग लगा कर मार डाला-दोषी यू/एस।302 – एस से दोषसिद्धि के परिवर्तन के रूप में सीमित मुद्दा।302 से एस।304 भाग II-आयोजितः अपीलार्थी ने मृतक पर मिट्टी का तेल तब डाला जब वह खुद को बचाने के लिए घर से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी और घर के दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश कर रही थी, अपीलार्थी ने अपने व्यक्ति पर माचिस की छड़ी फेंक दी और उसे आग लगा दी-कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है कि अपीलार्थी नशे की हालत में था-यहां तक कि मृतक और अपीलार्थी के बीच बातचीत को देखते हुए, जैसा कि उसके द्वारा दी गई मृत्यु घोषणा में कहा गया है, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि जब घटना हुई तो अपीलार्थी बहुत सचेत स्थिति में था-वह होश में था और वह क्या कर रहा था, इसके बारे में पूरी तरह से सचेत था-वह इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत था कि अगर मिट्टी का तेल डाला जाता है और माचिस की छड़ी डाली जाती है।300 चौथा लागू होगा और 4 से एस तक अपवाद नहीं होगा।300, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा प्रतिवाद किया गया है-निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत।302.

/

/

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया **:**वर्तमान मामले में**,** अपीलार्थी**-**अभियुक्त ने मृतक पर मिट्टी का तेल डाला जब वह खुद को बचाने के लिए घर से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी और घर के दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश कर रही थी**,** आरोपी ने माचिस की छड़ी फेंक दी।रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरोपी अत्यधिक नशे की हालत में था।यहां तक कि मृतक और आरोपी के बीच हुई बातचीत को देखते हुए**,** जो मृतक द्वारा दिए गए मृत्यु घोषणा में बताई गई है**,** यह सुरक्षित रूप से हो सकती है

/

/

84 ए.

85

सूरज जगन्नाथ जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.

उन्होंने कहा कि घटना के समय आरोपी बहुत होश में था।वह बहुत होश में था और जो वह कर रहा था उसके बारे में सचेत था।इसलिए**,** अभियुक्त इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत था कि यदि मिट्टी का तेल डाला जाता है और माचिस जलाकर शरीर पर डाल दिया जाता है**,** तो व्यक्ति की जलने से मृत्यु हो सकती है।इसलिए**,** मामला चौथी बार धारा **300** के अंतर्गत आएगा और भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **300** का अपवाद **4** लागू नहीं होगा।**[**पैरा **5.1] [88-**सी**-**ई**]**

/

2. जिस तरह से आरोपी ने मृतक पर मिट्टी का तेल डाला और उसके बाद जब वह उसे बचाने के लिए कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी**,** तो आरोपी पीछे से आया और एक माचिस की छड़ी फेंक दी और उसे आग लगा दी**,** मृतक की मौत हत्या के बराबर एक गैर**-**इरादतन हत्या थी और धारा **300** चौथी बार लागू होगी**,** न कि भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **300** का अपवाद **4** जैसा कि आरोपी की ओर से प्रस्तुत किया गया था।निचली अदालत के साथ**-**साथ उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **302** के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। **[**पैरा **7] [92-**बी**-**सी**]**

/

/

कालू राम बनाम राजस्थान राज्य **(2000) 10** एससीसी **324 -**

संदर्भित किया गया।

संतोष बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2015) 7** एससीसी **641:[2015] 4** एस**.** सी**.** आर**. 962;** भगवान तुकाराम डांगे बनाम राज्य

/

महाराष्ट्र (2014) 4 एस. सी. सी. 270:[2014] 3 एससीआर 753-पर निर्भर।

संदर्भित निर्णय

(2000) 10 एस**.** सी**.** सी**. 324**

संदर्भित

पैरा **3**

/

[2015] 4 एससीआर **962**

पर विश्वास किया

पैरा **4.2**

[2014] 3 एससीआर **753**

पर विश्वास किया

पैरा **4.2**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2019 की आपराधिक अपील संख्या 1885।

/

2013 की आपराधिक अपील संख्या 723 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 09.10.2018 से।

सुशील करंजकर, निखिलेश कुमार और के. एन. राय, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर और अनूप कंदारी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. 2013 की आपराधिक अपील संख्या 723 में बॉम्बे में उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर की गई उक्त अपील को खारिज कर दिया है और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 242 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराते हुए विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की है, मूल आरोपी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता-मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा केवल यह निवेदन किया गया है कि मृतक की मृत्यु को गैर-इरादतन हत्या कहा जा सकता है जो हत्या के बराबर नहीं है और मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा और इसलिए मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग II के अंतर्गत होगा। यहां तक कि इस न्यायालय ने वर्तमान अपील में अपराध की प्रकृति तक सीमित नोटिस जारी किया है।

/

3. अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री सुशील करंजकर ने जोरदार ढंग से कहा है कि आरोपी का अपनी पत्नी को मारने का कोई इरादा नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस समय दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उस समय आरोपी शराब के नशे अंतर्गत था और इसलिए उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रहा था। अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद भी अपीलार्थी ने मृतक को बचाने की कोशिश की और उसे बचाने के लिए पानी डाला और ऐसा करते हुए, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त को भी चोटें आईं।इसलिए, कालूराम बनाम राजस्थान राज्य (2000) 10 एस. सी. सी. 324 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग II में दोषसिद्धि को बदलने का अनुरोध किया जाता है।

/

/

/

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए जोरदार ढंग से कहा है कि कालूराम (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष उस मामले में, यह पाया गया कि ए

/

अभियुक्त अत्यधिक नशे की हालत में था, जो यहाँ नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वर्तमान मामले में, मृतक को गाली देने और हमला करने के बाद, आरोपी ने उसके व्यक्ति पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब मृतक खुद को बचाने के लिए घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, उस समय आरोपी पीछे से आया और उसके व्यक्ति पर माचिस की छड़ी फेंक दी और उसे आग लगा दी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित समय पर, मृतक 18 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था ले रहा था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक के बयान/मृत्यु घोषणा के अनुसार, जब मृतक शोर मचाते हुए कमरे से बाहर आया, तो आरोपी ने उस पर पानी डाला।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मिट्टी का तेल डालने की क्रिया, हालांकि पल भर में, एक माचिस की छड़ी जलाकर मृतक पर फेंक दी गई और इस तरह उसे आग लगा दी गई, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त का कार्य धारा 300 के अंतर्गत आता है और इसलिए मृतक की मृत्यु को गैर इरादतन हत्या कहा जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि औसत बुद्धि वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी होगी कि मिट्टी का तेल डालना और किसी व्यक्ति को आग लगाना इतना खतरनाक है कि सभी संभावनाओं में इस तरह के कार्य से चोट लग सकती है जिससे मृत्यु हो सकती है।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 300 को चौथे स्थान पर आकर्षित किया जाएगा न कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के अपवाद 4 को, जैसा कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

/

/

/

/

4.1 राज्य के विद्वान वकील श्री कटनेश्वरकर द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल इसलिए कि बाद में आरोपी ने पानी डाला होगा, यह भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304

भाग II में दोषसिद्धि को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोपी द्वारा मृतक पर पानी डालने का बाद का कार्य उसके अपराध को छिपाने का प्रयास प्रतीत होता है क्योंकि उसने ऐसा केवल तभी किया जब मृतक मदद के लिए बाहर आया और शोर मचाया। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसे कम करने वाला कारक नहीं माना जा सकता है।

/

4.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और निर्णयों पर भरोसा करना

संतोष बनाम महाराष्ट्र राज्य (2015) 7 एस. सी. सी. 641 के न्यायालय में और भगवान तुकाराम डांगे बनाम महाराष्ट्र राज्य के न्यायालय में

/

महाराष्ट्र **(2014) 4** एस**.** सी**.** सी**. 270,** वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना।जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, वर्तमान अपील में, इस न्यायालय के विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या -

/

88

/

[2019] 15 एस सी आर।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के अपवाद 4 या धारा 300 के अंतर्गत आता है और इसलिए, क्या भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 को आकर्षित किया जाएगा या मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत आ सकता है?

5.1 अपीलार्थी-मूल अभियुक्त की ओर से यह मामला है कि उस समय जब घटना हुई थी, अभियुक्त नशे में था और शराब के प्रभाव में था और उसका मृतक-पत्नी की मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था और बाद में भी अभियुक्त ने मृतक को बचाने की कोशिश की और उस पर पानी डाला और इसलिए मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है और इसलिए कालूराम (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग II में बदला जाना है।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतक पर मिट्टी का तेल डाला जब वह खुद को बचाने के लिए घर से बाहर भागने की कोशिश

कर रही थी और घर की कुंडी खोलने की कोशिश कर रही थी, आरोपी ने उसके व्यक्ति पर माचिस की छड़ी फेंक दी और उसे आग लगा दी।रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरोपी अत्यधिक नशे की हालत में था।यहां तक कि मृतक और आरोपी के बीच हुई बातचीत को देखते हुए, जैसा कि मृतक द्वारा दिए गए मृत्यु घोषणा में कहा गया है, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि जब घटना हुई तो आरोपी बहुत होश में था।वह बहुत होश में था और जो वह कर रहा था उसके बारे में सचेत था।इसलिए, अभियुक्त इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत था कि यदि मिट्टी का तेल डाला जाता है और माचिस की छड़ी जलाकर शरीर पर डाल दी जाती है, तो व्यक्ति की जलने से मृत्यु हो सकती है।इसलिए, मामला चौथी बार धारा 300 के अंतर्गत आएगा और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 का अपवाद 4 लागू नहीं होगा।5.2 संतोष (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न पर विचार किया गया।उक्त निर्णय में, इस न्यायालय को शराब के सेवन के कारण नशे की लत पर भी विचार करने का अवसर मिला था और कब इसे एक शमन कारक कहा जा सकता है।उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से की गई इस दलील पर भी विचार किया कि क्योंकि उसने मृतक पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया था और उस प्रक्रिया में वह खुद भी जल गया था और इसलिए यह मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा। मामले के समान तथ्यों और परिस्थितियों में, संतोष (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 10 से 15 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

/

/

/

/

/

/

“11. विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या आरोपी द्वारा पानी डालने से ए के अपराध को कम किया जा सकेगा।

/

हत्या।जहाँ हत्या करने का इरादा मौजूद है, वह अधिनियम हत्या के बराबर है, जहाँ ऐसा इरादा अनुपस्थित है, वह अधिनियम गैर-इरादतन हत्या के बराबर है।यह निर्धारित करने के लिए कि

अपराधी का इरादा था या नहीं, प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से, यह स्पष्ट है कि:(i) एक हत्या हुई थी, अर्थात् सरस्वतीबाई की मृत्यु; (ii) अपीलार्थी द्वारा मृतक को आग लगा दी गई थी और यह कार्य आकस्मिक या अनजाने में नहीं था; और (iii) पोस्टमॉर्टम प्रमाण पत्र से पता चला कि मृतक की मृत्यु 60 प्रतिशत जलने की चोटों के कारण सदमे और सेप्टीसीमिया के कारण हुई थी।जब आरोपी ने मृतक पर मिट्टी के तेल के दीपक से मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगाने के लिए जली हुई माचिस की छड़ी को भी मृतक पर फेंक दिया, तो उसका इरादा मृतक की मौत का कारण बनना होगा।पी. डब्ल्यू. 5, पंच गवाह के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलार्थी के घर में मिट्टी के तेल का दीपक एक खाली शराब की बोतल में तैयार किया गया था।मिट्टी के तेल को मिट्टी के तेल के दीपक से डाला गया था या डिब्बे से डाला गया था, इसका कोई मतलब नहीं है।जब मृतक को आग लगाने के आरोपी के कार्य के बारे में स्पष्ट सबूत होता है, तो पूर्व-चिंतन की अनुपस्थिति हत्या के अपराध को गैर-इरादतन हत्या में नहीं घटाएगी।इसी तरह, पानी डालने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होगी।

/

/

/

/

12. प्रकृति की पुकार पर ध्यान देने के बाद मृतक घर में थोड़ी देर से लौटा।आरोपी ने उससे पूछा कि वह देर से क्यों आ रही है और उसे उसकी निष्ठा पर भी संदेह था।आरोपी के लिए मिट्टी का तेल डालने और उसे आग लगाने के लिए कोई उकसावा नहीं था।मिट्टी का तेल डालने की क्रिया, हालांकि पल भर में, एक माचिस की छड़ी जलाकर मृतक पर फेंक दी गई और इस तरह उसे आग लगा दी गई।दोनों कृत्य एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो जाती है और आरोपी का कार्य हत्या के लिए दंडनीय है।

/

13. यह मानते हुए भी कि अभियुक्त का मृतक की मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था, अभियुक्त का कार्य भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के खंड चौथे के अंतर्गत आता है जो कि इतनी आसन्न रूप से खतरनाक चोट पहुंचाने का कार्य है जहां यह सभी संभावनाओं में मृत्यु का कारण बनेगा।औसत बुद्धि वाले किसी भी व्यक्ति को यह जानकारी होगी कि मिट्टी का तेल डालने और उसे आग लगाने से

/

/

/

[2019] 15 एस सी आर।

एक जली हुई माचिस की छड़ी फेंकना इतना खतरनाक है कि सभी संभावनाओं में इस तरह के कार्य से चोट लग सकती है जिससे मृत्यु हो सकती है।14. जहाँ तक आग बुझाने के प्रयास में अभियुक्त के आचरण का संबंध है, कालू राम मामले [(2000) 10 एस. सी. सी. 324 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 86], यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के इस तरह के आचरण से अपराध को हत्या से गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया जाएगा।कालू राम मामले में [(2000) 10 एससीसी 324:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 86], अभियुक्त की दो पत्नियाँ थीं।अत्यधिक नशे की हालत में आरोपी ने अपनी पत्नी को उसके गहने देने के लिए कहा ताकि वह और शराब खरीद सके, जिसके कारण जब पत्नी ने मांग के अनुसार करने से इनकार कर दिया तो झगड़ा हो गया।इस तथ्य से क्रोधित होकर कि उसकी पत्नी उसकी मांगों को स्वीकार करने में विफल रही, आरोपी ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगाने के लिए उसे एक माचिस का डिब्बा दिया।माचिस की छड़ी को जलाने में विफल रहने पर आरोपी ने उसे आग लगा दी।लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि आग भड़क रही है, तो उसने उसे बचाने के लिए उसके व्यक्ति पर पानी फेंक दिया।ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त का इरादा उन चोटों को पहुँचाने का नहीं था जो उसे अभियुक्त के कार्य के कारण लगी थीं और दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग II में बदल दिया गया था।

/

/

/

15. कालू राम मामले में निर्णय [(2000) 10 एस. सी. सी. 324:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 86] तत्काल मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।नशे के तत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह सोचने की शक्ति को काफी बदल देता है।तत्काल मामले में, आरोपी पूरी तरह से होश में था, अपने कृत्य के परिणामों को पूरी तरह से जानता था।अभियुक्त द्वारा मृतक पर पानी डालने का बाद का कार्य भी उसके अपराध को छिपाने का प्रयास प्रतीत होता है क्योंकि उसने ऐसा केवल तभी किया जब मृतक मदद के लिए चिल्लाया।इसलिए, इसे कम करने वाला कारक नहीं माना जा सकता है।पूर्ण जागरूकता में एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, इसके परिणामों को जानते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक नशे की हालत में किए गए कार्य के बराबर नहीं माना जा सकता है, जहां उसकी तर्क क्षमता धुंधली हो जाती है। "

/

/

/

भगवान (उपरोक्त) के मामले अंतर्गत , अभियुक्त के बचाव पर विचार करते हुए-मिट्टी का तेल डालने और माचिस जलाने के समय, वह शराब और नशे के प्रभाव अंतर्गत था और इसलिए, नशा को एक शमनकारी परिस्थिति कहा जा सकता है।

/

91

सूरज जगन्नाथ जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

और इसलिए मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 12 और 13 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी करके उक्त बचाव को नकार दिया:

“12. इस प्रकार, नशा किसी आपराधिक आरोप का बचाव नहीं है।कभी-कभी, इसे एक शमनकारी परिस्थिति माना जा सकता है यदि आरोपी आदतन शराब पीने वाला नहीं है, अन्यथा, इसे एक उत्तेजक परिस्थिति के रूप में माना जाना चाहिए।यह प्रश्न कि क्या शराब पीना सजा का निर्धारण करते समय एक बचाव है, बबलू बनाम राजस्थान राज्य [(2006) 13 एस. सी. सी. 116 में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया:(2007) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 590], जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया (एस. सी. सी. पृष्ठ 129, पैरा 12) कि नशे की प्रतिरक्षा का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब नशा ऐसी स्थिति पैदा करता है क्योंकि अभियुक्त अपराध के लिए अपेक्षित इरादा खो देता है और नशे के कारण के बारे में सबूत का दायित्व, जिसके कारण अभियुक्त विशेष इरादे को बनाने में विशेष ज्ञान रखने में असमर्थ हो गया था, अभियुक्त पर है।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 85 की जांच करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि नशे की लत के साक्ष्य जो आरोपी को अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक विशिष्ट इरादे को बनाने में असमर्थ बनाता है, को अन्य तथ्यों के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसका इरादा था या नहीं।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल यह स्थापित करना कि उसका मन शराब से प्रभावित था ताकि वह अधिक आसानी से कुछ हिंसक जुनून को रास्ता दे सके, इस धारणा का खंडन नहीं करता है कि एक आदमी अपने कार्यों के प्राकृतिक परिणामों का इरादा रखता है।इस न्यायालय ने, उस मामले में, यह देखने के बाद कि किया गया अपराध एक क्रूर और शैतानी कार्य था, शराब के नशे में होने की याचिका को खारिज कर दिया।

/

/

/

/

/

13. हमें वकील के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि चूंकि अपीलार्थी-अभियुक्त शराब के प्रभाव में था, इसलिए अपराध धारा 304 भाग I या धारा 304 भाग II के अंतर्गत आएगा। ए-2 द्वारा मृतक के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद, ए-1 को उसकी कार्रवाई के परिणामों को जानने के लिए माना गया था, जिसमें उसने माचिस जलाकर उसकी साड़ी में आग लगा दी थी।हमारे विचार में, अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत सही आरोप पत्र दायर किया गया था और हमें निचली विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। "

/

6. इसलिए**,** कालू राम **(**उपरोक्त**)** के मामले में इस न्यायालय का निर्णय जिस पर विद्वान वकील द्वारा भरोसा रखा गया है।

/

अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित होना अभियुक्त के लिए कोई सहायता नहीं होगी, विशेष रूप से, अभियुक्त के नेतृत्व में किसी भी सबूत के अभाव में कि वह अत्यधिक नशे की हालत में था और/या वह इतना नशे में था कि वह होश खो चुका था।

7. भगवान (उपरोक्त) और संतोष (उपर्युक्त) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए और जिस तरह से आरोपी ने मृतक पर मिट्टी का तेल डाला और उसके बाद जब वह उसे बचाने के लिए कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी, तो आरोपी पीछे से आया और एक माचिस फेंक दी और उसे आग लगा दी, हमारी राय है कि मृतक की मौत हत्या के बराबर एक गैर-इरादतन हत्या थी और धारा 300 चौथी बार लागू होगी, न कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के लिए, जैसा कि आरोपी की ओर से प्रस्तुत किया गया था।हम विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

/

/

/

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और उसी को खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

/

/

/

/